न्यायालय जिला कलक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी : देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

प्र.सं. 78/2025 प्रार्थना पत्र स्थानांतरण

1. कैलाश पुत्र जोधा
2. पृथ्वीराज पुत्र जोधा
3. भगवानसहाय पुत्र जोधा
4. रतनलाल पुत्र रामू
5. रामकरण पुत्र रामू
6. रामजीलाल पुत्र जोधा
7. लल्लूराम पुत्र रामू

समस्त जाति मीना निवासी लवाण तहसील लवाण जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. जगदीश पुत्र सरीला
2. जयनारायण पुत्र सरीला
3. प्रताप पुत्र सरीला

समस्त जाति मीना निवासी खानवास तहसील लवाण जिला दौसा

4. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
5. सिण्डीकेन्ट बैंक शाखा लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
6. स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा लवाण तहसील लवाण जिला दौसा
7. राजस्थानग्रामीणबैंक शाखा लवाणतहसीललवाणजिलादौसा
8. श्री रविकान्तसिंह मीना वर्तमान पीठासीन उप जिला कलेक्टर लवाण जिला दौसा

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र, स्थानान्तरण बउनवानी प्रकरण जगदीश आदि बनाम कैलाश आदि प्रकरण संख्या 2/2023 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट जो उप जिला कलेक्टर लवाण की न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें आगामी तारीख पेशी 25/8/2025 नियत को अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई व निर्णय हेतु स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित : 1. श्री रामलाल गोठवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री अशोक कुमार जोशी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

–:: निर्णय ::–

दिनांक 15.9.2025

1. संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन वाद उनवानी जगदीश आदि बनाम कैलाश आदि प्रकरण संख्या 2/ 2023 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को किसी भी दीगर उप जिला कलक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु स्थानांतरित करने हेतु प्रार्थना पत्र स्थानांतरण पेश किया गया है।
2. स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उप जिला कलक्टर लवाण से बिन्दुवार टिप्पणी मंगवाई गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1, 2, 3 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत रास्ते के संबंध में प्रस्तुत कर रखा है

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जो विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम स्तर पर ही चलने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार को पक्षकार ही नहीं बनाया तथा प्रार्थीगण ने तहसीलदार की रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने वर्तमान पीठासीन अधिकारी उप जिला कलेक्टर लवाण से मिलीभगत व साजकर रखा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पीठासीन अधिकारी के चैंबर व आवास पर मिलते जुलते व बातचीत करते हुए देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सरेआम गांव में यह कहते फिरते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से पूर्ण रूप से बातचीत हो गई है तथा प्रकरण का निस्तारण हमारे ही पक्ष में करेंगे इसलिए प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से पीठासीन अधिकारी ने मिलभगतन व साजकर रखी है। इसलिए प्रार्थीगण को उप जिला कलेक्टर लवाण से निष्पक्ष न्याय व सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए पीठासीन अधिकारी उप जिला कलेक्टर लवाण की न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्याय हित में आवश्यक है ताकि प्रकरण को विधिपूर्वक निस्तारण हो सके व प्रार्थीगण को न्याय मिल सके इसलिए यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश है। अप्रार्थी संख्या 1 2 3 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अंतर्गतधारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट बाबत रास्ते के संबंध में प्रस्तुत कर रखा है जो विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र प्रथम स्तर पर ही चलने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त प्रार्थना पत्र में तहसीलदार को पक्षकार ही नहीं बनाया तथा प्रार्थीगण ने तहसीलदार की रिपोर्ट के संबंध में आपत्ति प्रार्थना पत्र भी अधिनस्थ न्यायालय में पेश कर रखा है। परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने वर्तमान पीठासीन अधिकारी उप जिला कलेक्टर लवाण से मिलीभगत व साज कर रखा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पीठासीन अधिकारी के चैंबर व आवास पर मिलते जुलते व बातचीत करते हुए देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सरेआम गांव में यह कहते फिरते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से पूर्ण रूप से बातचीत हो गई है तथा प्रकरण का निस्तारण हमारे ही पक्ष में करेंगे इसलिए प्रार्थीगण को यह पूर्ण विश्वास हो गया है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 से पीठासीन अधिकारी ने मिलभगत व साज कर रखी है। इसलिए प्रार्थीगण को उप जिला कलेक्टर लवाण से निष्पक्ष न्याय व सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए पीठासीन अधिकारी उप जिला कलेक्टर लवाण की न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई हेतु स्थानान्तरित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि प्रकरण को विधिपूर्वक निस्तारण हो सके व प्रार्थीगण कोन्याय मिल सके। अतः प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण स्वीकार फरमाया जाकर अधिनस्थ उप जिला कलेक्टर लवाण की न्यायालय मे विचाराधीन प्रकरण जगदीश आदि कैलाश आदि प्रकरण संख्या 2/2023 अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई हेतु स्थानान्तरित फरमाने की कृपा करे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 से 3 ने बहस में कथन किया कि उप जिला कलक्टर लवाण के द्वारा विचाराधीन वाद में पक्षकारान को जवाब और सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान किया जा रहा है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण को विलंब करने की गरज से यह प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण पेश किया गया है। [illegible] खारिज फरमाया जावे।

5. उप जिला कलक्टर लवाण से बिन्दुवार टि[illegible] की गई जिसके अनुसार प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप दुर्भाव[illegible] लगाये गये है। प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण प्रकरण के निस्तारण में [illegible] करने के लिए पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्[illegible]री अधिनियम 1955 को इस न्यायालय से दीगर न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी का तर्क है कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 ने वर्तमान पीठासीन अधिकारी उप जिला कलेक्टर लवाण से मिलीभगत व साजकर रखा है तथा प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को पीठासीन अधिकारी के चैंबर व आवास पर मिलते जुलते व बातचीत करते हुए देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सरेआम गांव में यह कहते फिरते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से पूर्ण रूप से बातचीत हो गई है तथा प्रकरण का निस्तारण हमारे ही पक्ष में करेंगे। प्रार्थीगण को उप जिला कलेक्टर लवाण से निष्पक्ष न्याय व सुनवाई की कोई उम्मीद नहीं है।

8. पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी रिपोर्ट में उक्त कथनों को मनगढन्त एवं निराधार बताया है। उनका कथन है कि उक्त विचाराधीन वाद में दोनों पक्षकारान को नोटिस दिया जाकर समुचित सुनवाई के अवसर दिये जा रहे है। प्रकरण में पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है।

9. अप्रार्थीगण द्वारा तर्क दिया गया है कि प्रार्थीगण प्रकरण को उलझाना चाहते है एवं प्रकरण में विलंब करने के लिए यह स्थानान्तरण प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। समस्त पक्षकरान को पीठासीन अधिकारी द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर दिया जा रहा है।

13. जहॉ तक प्रश्न पीठासीन अधिकारी के चैंबर में मिलते देखना, व बातचीत करते हुए देखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 सरेआम गांव में यह कहते फिरते है कि हमारी पीठासीन अधिकारी से पूर्ण रूप से बातचीत होने का प्रश्न है तो इस संबंध में प्रार्थीगण कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहे है।

14. उपरोक्त विवेचन के आधार पर उप जिला कलक्टर लवाण में विचाराधीन प्रकरण जगदीश आदि बनाम कैलाश आदि प्रकरण संख्या 2/ 2023 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 क राजस्थान टिनेन्सी एक्ट को दीगर उप जिला कलक्टर को स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्थानान्तरण खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय उप जिला कलक्टर लवाण को निर्णय की प्रति भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 15 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:23:16 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official